विदेशी निवेश बीमा

>> विदेशी निवेश बीमा द्वारा किन जोखिमों को रक्षा प्रदान की जाती है ।

निगम ने विदेशों में भारतीय निवेशों को सुरखा प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना बनायी है । विदेशों में परियोजनाएँ स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए ईक्विटी शेयर पूंजी या शर्तरहित ऋण के रूप में किए जाने वाले निवेशों के लिए निवेश बीमा व्यवस्था के अंतर्गत रक्षा उपलब्ध होगी । निवेश, नकद रूप में या भारतीय पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के रूप में हो सकता है । मूल निवेश और उस पर देय वार्षिक लाभांशों तथा ब्याज के लिए रक्षा उपलब्ध होगी । इस योजना के अंतर्गत युद्ध, संपत्तिहरण और रकम के प्रेषण पर प्रतिबंध, के जोखिमों से रक्षा मिलती है । चूँकि संयुक्त उद्यम के प्रबंध में निवेशकर्ता का भी हाथ रहेगा, अत: इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक जोखिमें के लिए रक्षा प्रदान नहीं की जाएगी ।

>> विदेशी निवेश बीमा की मुख्य बातें क्या हैं ?

किसी देश में किए जानेवाले निवेश के लिए निवेश बीमा सुविधा तभी मिल सकती है जब एक देश के निवेश को दूसरे देश में सुरक्षा प्रदान करनेवाला द्विपक्षीय करार हो । किसी ऐसे करार या संविदा के न होने पर निगम रक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकता है बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित देश के सामान्य कानून भारतीय निवेश को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं ।

बीमा रक्षा की अवधि आम तौर पर १५ वर्ष से अधिक नहीं होगी । जिन परियोजनाओं की निर्माण अवधि काफी लंबी रहती है उनके मामले में परियोजना की समाप्ति की तारीख से १५ वर्ष तक रक्षा प्रदान की जा सकती है, किन्तु अधिकतम अवधि निवेश के प्रारंभ की तारीख से २० वर्ष ही होगी । बीमाकृत रकम को बीमा अवधि के अंतिम पाँच वर्षों में क्रमश: कम कर दिया जाएगा ।